

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

चूरु - 22 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन


निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री हरलाल सहारण गाँव व पोस्ट-खासोली तहसील चूरु व जिला चूरु (राज.) पिन-331001 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने की लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान चूरु

दिनांक 03.12.2023


(अनिल कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 22-चूरु

(एस.डी.एम.) चूरु

(अनिल कुमार)

रिटर्निंग अधिकारी

उप सचिव अधिकारी एवं उप सचिव मजिस्ट्रेट चूरु

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चूरु (22)

FORM -21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the people Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of the **Rajasthan** state from the **(22) CHURU** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri **HARLAL SAHARAN VPO-KHASOLI TEHSIL-CHURU DISTRICT-CHURU (RAJ.) PIN-331001** sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: Churu

Dated 03-12-2023


(Anil Kumar)

Returning Officer
Assembl-y Constituency Churu (22)
(S.D.M.) Churu

Returning Officer
Sub Divisional Officer &
Sub Divisional Magistrate, Churu
Assembly Constituency (22)